



## छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

एल.आई.सी. परिसर, पण्डरी, रायपुर, - 492004 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष कार्यालय-2583789-90, फ़ैक्स: 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in,

csidc\_raipur@yahoo.com

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 01/का.अ.(तक-3) 2010-11/

रायपुर, दिनांक 10/05/2010

मुहरबंद निविदायें इस निगम में वांछित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु दिनांक 18/05/2010 अपरान्ह 3.00 बजे तक सी.एस.आई.डी.सी.तक -3 पंडरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

स.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	आमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	प्रपत्र
1.	औद्योगिक क्षेत्र, बोरई दुर्ग में रोड डिवाइडर मरम्मत एवं साईड बर्म सफाई का कार्य	रु 5.23	5000/-	750/-	02 माह वशा ऋतु सहित	अ-1 एवं उपर	ए प्रति त दर पर
2	औद्योगिक क्षेत्र, बोरई (दुर्ग) के ग्रीन बेल्ट में बारबेड वॉयर फेंसिंग का कार्य	रु 10.25	7700	750/-	02 माह वशा ऋतु सहित	अ-2 एवं उपर	बी-आयटम दर पर

शर्त :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता तकनीकी -3 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 17/05/10 को अपरान्ह 2.00 बजे तक मुख्यालय पंडरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- (3) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता हेतु उपरोक्त कार्य की अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत के बराबर का समान प्रकार का कार्य विगत तीन वर्षों में एक ही अनुबंध में निर्धारित समयावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) दिनांक 01/04/2009 से प्रभाव वाली रोड एसओआर एवं दिनांक 01/6/2009 से भवन एसओआर लागू होगा।
- (5) अलग-अलग एस.ओ.आर. के लिए अलग-अलग दर प्रस्तुत करना होगा।
- (6) निविदा आवेदन के साथ वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन, जीवित साल्वेंसी एवं टर्नओवर, आयकर, विक्रयकर, पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (7) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, की धारा 3(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction works) पर 1% उपकर (सेस) देय होगा, देयको के भुगतान में से उक्त राशि काटी जायेगी।
- (8) कोई भी या सभी निविदाएँ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता  
(तक-3)